भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-111

उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

केंद्रीय विद्यालय संगठन में रिक्त पद

†*111. **श्री कालिपद सरेन खेरवाल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) में कितने संकाय सदस्यों और गैर-संकाय सदस्यों के पद रिक्त हैं और कितने पद स्वीकृत हैं;
(ख) वर्ष 2014 से केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संकाय सदस्यों और गैर-संकाय सदस्यों के पदों सहित स्थायी पदों के लिए की गई भर्तियों का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में वर्ष 2014 से वर्ष-वार संकाय सदस्यों और गैर-संकाय सदस्यों सहित कितने कर्मचारियों की संविदा के आधार पर सेवाएं ली गई हैं;
(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे गए संकाय सदस्यों और गैर-संकाय सदस्यों के पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और
(ङ) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संविदा के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती में किन्हीं आरक्षण मानकों का पालन किया गया है, यदि हां, तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के संविदा कर्मचारियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"केंद्रीय विद्यालय संगठन में रिक्त पद" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कालिपद सरेन खेरवाल द्वारा दिनांक 08.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 111 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): नए केंद्रीय विद्यालय (केवि) खुलने, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण, कर्मचारियों के दूसरे विभाग में ग्रहणाधिकार पर जाने और स्कूलों के उन्नयन के कारण रिक्तियां होती रहती हैं।

रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और प्रासंगिक भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जाते हैं।

जब किसी केवि में नियमित या अवकाश के कारण रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, तो बाधारहित शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को स्थानीय स्तर पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष अस्थायी अवधि के लिए संविदा के आधार पर भी नियुक्त किया जाता है। चूंकि यह नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होती है, जो नियमित पदाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में व्यवधान से बचने के लिए की जाती है, इसलिए संविदात्मक शिक्षकों का कार्यकाल पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नियमित शिक्षकों को शीघ्र भर्ती करने के प्रयास किए जाते हैं ताकि छात्र हितों का नुकसान न हो।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण मानदंडों को शामिल करते हुए केविसं के भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियमित नियुक्ति करता है।

दिनांक 01.11.2025 तक देशभर में केविसं में शैक्षणिक और गैर- शैक्षणिक कर्मचारियों के कुल संस्वीकृत पद, पदस्थ कर्मचारी (श्रेणी-वार) और रिक्त पद निम्न प्रकार हैं:

पद	संस्वीकृत पद	पदस्थ कर्मचारी						रिक्त पद
		सामान्य	ईड ब्ल्यूएस	ओबीसी	एससी	एसटी	कुल	
शैक्षणिक कर्मचारी	50414	17427	1114	13211	7235	2970	41957	8457
गैर-शैक्षणिक कर्मचारी	6106	1701	65	1116	1172	336	4390	1716
कुल	56520	19128	1179	14327	8407	3306	46347	10173

केविसं में 2014 से की गई वर्ष-वार और श्रेणी-वार भर्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	पद	की गई भर्ती/ जारी किए गए नियुक्ति पत्र					
		सामान्य	ईड ब्ल्यूएस	ओबीसी	एससी	एसटी	कुल
2014-15*	शैक्षणिक	52	0	23	12	6	93
	गैर-शैक्षणिक	1	0	0	0	1	2
2015-16*	शैक्षणिक	1926	0	997	571	290	3784
	गैर-शैक्षणिक	280	0	151	84	40	555
2016-17	शैक्षणिक	3202	0	1618	915	458	6193
	गैर-शैक्षणिक	0	0	0	0	0	0
2017-18	शैक्षणिक	4522	0	2468	1387	696	9073
	गैर-शैक्षणिक	399	0	206	119	59	783
2022-23	शैक्षणिक	4865	1114	3116	1769	869	11733
	गैर-शैक्षणिक	455	119	324	176	60	1134
कुल		**15702**	**1233**	**8903**	**5033**	**2479**	**33350**

* की गई भर्तियां /विज्ञापित रिक्तियां

शैक्षणिक सत्र 2014-15 से स्वीकृत पदों के सापेक्ष केवि में कार्यरत संविदा के आधार पर शिक्षकों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	शैक्षणिक सत्र	स्वीकृत पदों के सापेक्ष संविदात्मक शिक्षकों की संख्या
1.	2014-15	7534
2.	2015-16	7873
3.	2016-17	9061
4.	2017-18	7568
5.	2018-19	9539
6.	2019-20	8912
7.	2020-21	3260
8.	2021-22	8105
9.	2022-23	10462
10.	2023-24	3404
11.	2024-25	6920

वर्ष 2025-26 के संबंध में आंकड़े परिवर्तनशील प्रकृति के है और शिक्षकों को आवश्यकता/मांग के अनुसार संविदा पर काम पर रखा जाता हैं।

****